

राजस्थान सरकार

शिक्षा विभाग

निदेशालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 1 (175) कृषि/स्था/निकाशि/2011/ 271

दिनांक: 13.07.2012

कार्यालय आदेश

राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम-2010 के नियम 4(3)क में वर्णितानुसार गठित स्क्रीनिंग समिति द्वारा आयोजित बैठक दिनांक 08.11.2011 एवं दिनांक 20.01.2012 द्वारा गैर सरकारी सहायता प्राप्त कृषि शैक्षिक संस्थाओं में नियमित रूप से नियुक्त निम्नांकित व्याख्याता/पी.टी.आई. जिन्होंने उक्त नियमों के अधीन उल्लेखित निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार नियुक्त किये जाने की वांछा की है, को व्याख्याता/पी.टी.आई. पद की उपयुक्तता का न्याय निर्णयन करते हुए इन्हें व्याख्याता पद पर नियुक्त किये जाने संबंधी अनुशंसा के आधार पर उक्त नियमों के नियम 5(ii) के अनुसार पृथक मृत संवर्ग गठित करते हुए राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम-2010 में उल्लेखित निबंधनों एवं शर्तों के तहत राजकीय सेवा में नियुक्त होने के फलस्वरूप कार्मिकों के नाम के सम्मुख अंकित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित क्षेत्रों के महाविद्यालयों में व्याख्याता/पी.टी.आई. (R.V.R.E.S) पद पर विद्यमान वेतनमान पर पदस्थापित किया जाता है:-

1. ये इन नियमों के अधीन अधिवाषिता आयु प्राप्त करने तक किसी पदोन्नति के हकदार नहीं होंगे तथापि इन्हें सुनिश्चित कैरियर वृद्धि/कैरियर समुन्नति स्कीम का लाभ अनुज्ञात किया जायेगा जैसा कि यू0जी0सी0 के तहत राज्य सरकार के कॉलेज शिक्षा के व्याख्याताओं, पुस्तकालयाध्यक्षों एवं शारीरिक अनुदेशकों को अनुज्ञात है। सुनिश्चित कैरियर समुन्नति स्कीम की मंजूरी के प्रयोजनार्थ कालावधि की गणना स्वीकृत ओर सहायता प्राप्त पदों पर उनकी नियुक्ति की तारीख से की जावेगी।
2. यह नियुक्ति राजस्थान शिक्षा (महा. शाखा) सेवा नियम, 1986 के अधिधीन नहीं की जा रही है वरन् राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण सेवा नियम, 2010 के नियम 5 (ii) के अनुरूप मृत संवर्ग के रूप में की जा रही है।
3. यह मृत संवर्ग के पद चाहे किसी भी कारण से यथा अधिवाषिता/स्वैच्छिक सेवानिवृति/सेवा समाप्ति/सेवा में रहते हुए मृत्यु/कर्मचारी के त्याग पत्र इत्यादि के कारण पदों के रिक्त होते ही स्वतः समाप्त हो जायेंगे। इससे महाविद्यालय शिक्षा विभाग के पूर्व से सृजित पद समाप्त नहीं होंगे।
4. इनका वेतन इन नियमों के अधीन उनकी नियुक्ति के समय यथा आहरित वेतन के आधार पर इनके इस आदेश की अनुपालना में पद ग्रहण करने की तारीख से छठें वेतन आयोग के अनुसार नियत किया जायेगा। इन कर्मचारियों को इन नियमों के अधीन उनकी नियुक्ति के पश्चात् सरकार में पद ग्रहण करने की तारीख से राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) राजकीय महाविद्यालय व्याख्याता मय लाईब्रेरियन एवं पी.टी.आई नियम-2009 के लाभ के लिए अनुज्ञात किये जायेंगे।
5. उपार्जित अवकाश के अतिशेष अग्रनीत करने को अनुज्ञात नहीं किया जायेगा। कर्मचारी संबंधित सहायता प्राप्त अनुदानित शैक्षिक संस्थाओं से उपार्जित अवकाश के अतिशेष के नगदीकरण का भुगतान प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।


6. इन नियमों के अधीन नियुक्ति के पश्चात् सरकार में उनके पद ग्रहण की तारीख से पूर्व की कालावधि के लिये राज्य सरकार द्वारा किसी भी मददे कोई भी बकाया, चाहे वह कुछ भी हो (वेतन, चयनित वेतनमान, सुनिश्चित कैरियर वृद्धि या कैरियर समुन्नति स्कीम के बकाया को सम्मिलित करते हुए) संदत्त नहीं किये जायेंगे।
7. इन नियमों के अधीन सरकारी सेवा में नियुक्त किये गये ये व्यक्ति पेंशन स्कीम के लिए पात्र नहीं होंगे अंशदायी भविष्य निधि अंशदान, यदि इन नियमों के अधीन नियुक्ति के पश्चात् सरकार में उनके पद ग्रहण की तारीख से पूर्व की कालावधि के लिये, गैर सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं द्वारा जमा नहीं कराया गया हो तो, राज्य सरकार द्वारा संदत्त नहीं किया जायेगा। नियुक्त कार्मिक पर राजस्थान सिविल सेवा (अंशदान पेंशन) नियम, 2005 ही लागू होगा।
8. अनुदान/सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में सेवा की कालावधि की गणना उपादान के संदाय के लिये नहीं की जायेगी। कर्मचारी संबंधित सहायता/अनुदान प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं से अपने उपादान का संदाय प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे। राज्य सरकार का इस संबंध में कोई उत्तर दायित्व नहीं होगा।
9. इन नियमों में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इन नियमों के अधीन नियुक्त इन व्यक्तियों की अन्य सेवा शर्तें 01.01.2004 को या उसके पश्चात् नियुक्त व्यक्तियों पर लागू विभिन्न सेवा नियमों द्वारा विनियमित होगी।
10. इन्हें अधिवाषिता की आयु प्राप्त करने तक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित क्षेत्रों में स्थित सरकारी शैक्षिक संस्थाओं में ही सेवा करनी होगी।
11. राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक योग्यता की वैधता की जाँच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष है, अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक योग्यता वैध व मान्य पाये जाने के अध्यक्षीन प्रदान की जा रही है। अतः संबंधित संस्था प्रधान ऐसे अभ्यर्थियों से 10/- रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटेरी से प्रमाणित करवा कर इनके द्वारा कार्यग्रहण करने से पूर्व इस आशय का शपथ पत्र पूर्व में ही प्राप्त करेंगे कि यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गई शैक्षिक योग्यता वैध व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें इस आदेश के द्वारा प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने संबंधी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेंगा। ऐसी स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।
12. संबंधित महाविद्यालय का प्राचार्य इन्हें कार्यग्रहण करवाने से पूर्व इनकी सभी शैक्षणिक योग्यता से संबंधित अंकतालिकाओं/प्रमाण पत्रों की मूल दस्तावेजों से मिलान करने के उपरान्त उसकी एक-एक प्रमाणित छायाप्रतियाँ प्राप्त कर कार्यालय अभिलेख में सुरक्षित रखेगे।
13. इन्हें दिनांक 23/07/2012 तक अनिवार्यतः पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण करना होगा। कार्यग्रहण अवधि में वृद्धि संबंधी कोई आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा। निर्धारित तिथि तक कार्यग्रहण नहीं करने की स्थिति में उन्हें इन नियमों के अधीन प्रदत्त यह नियुक्ति स्वतः ही निरस्त हो जायेगी। कार्यग्रहण करने पर इन्हें यात्रा भत्ता इत्यादि नहीं दिया जायेगा।



14. उक्त नियुक्ति आदेश डी0बी0सिविल रिट याचिका संख्या 2983/2011 में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की खण्डपीठ द्वारा पारित अन्तिम निर्णयाधीन जारी किया जाता है।

क्र. स.	अधिकारी का नाम एवं पिता/पति का नाम	पद / विषय	अनुदानित महाविद्यालय का नाम	जन्म तिथि	उपस्थिति देने का स्थान
1	जगदीश नारायण मेहरोत्रा	व्याख्याता कृषि अभियांत्रिकी	दयानन्द कॉलेज, अजमेर	01.02.1953	राजकीय महाविद्यालय, उनियारा
2	डा. गोविन्द प्रकाश आचार्य	व्याख्याता कृषि विस्तार	दयानन्द कॉलेज, अजमेर	06.11.1964	राजकीय महाविद्यालय, उनियारा
3	इन्द्र हरित शर्मा	व्याख्याता पशुपालन	दयानन्द कॉलेज, अजमेर	05.01.1965	राजकीय महाविद्यालय, उनियारा
4	डा. विष्णुराज सिंह राठौड़	व्याख्याता पौध व्याधि	दयानन्द कॉलेज, अजमेर	15.02.1965	राजकीय महाविद्यालय, उनियारा
5	डा. अनिल कुमार भारद्वाज	व्याख्याता पशुपालन डेयरी	दयानन्द कॉलेज, अजमेर	15.09.1967	राजकीय महाविद्यालय, चिमनपुरा
6	डा. धर्मेन्द्र सिंह चाहर	व्याख्याता कृषि रसायन एवं मृदाशास्त्र विज्ञान	दयानन्द कॉलेज, अजमेर	15.07.1967	राजकीय महाविद्यालय, उनियारा
7	डा. नंदराम	व्याख्याता कृषि कीट विज्ञान	दयानन्द कॉलेज, अजमेर	15.07.1967	राजकीय महाविद्यालय, उनियारा
8	डा. राजकुमार सिंह	व्याख्याता एग्रोनोमी	दयानन्द कॉलेज, अजमेर	18.07.1967	राजकीय महाविद्यालय, उनियारा
9	डा. राजेन्द्र सिंह	व्याख्याता बागवानी	दयानन्द कॉलेज, अजमेर	10.07.1966	राजकीय महाविद्यालय, उनियारा
10	डा. देवराज सिंह झाड़ाड़िया	व्याख्याता कृषि अर्थशास्त्र	स्वामी केशवानन्द ग्रामोत्थान विद्यापीठ, संगरिया, हनुमानगढ़	11.02.1968	राजकीय महाविद्यालय, उनियारा
11	पिताम्बर शर्मा	व्याख्याता कृषि विस्तार	स्वामी केशवानन्द ग्रामोत्थान विद्यापीठ, संगरिया, हनुमानगढ़	02.10.1968	राजकीय महाविद्यालय, चिमनपुरा
12	डा. अभिताम संजीत	व्याख्याता अंग्रेजी	दयानन्द कॉलेज, अजमेर	07.09.1953	राजकीय महाविद्यालय, मांडलगढ़
13	अनिल कुमार गुप्ता	व्याख्याता भौतिक शास्त्र	दयानन्द कॉलेज, अजमेर	09.09.1964	राजकीय महाविद्यालय, देवली
14	डा. नरेन्द्र सिंह भाम्मू	व्याख्याता रसायन शास्त्र	स्वामी केशवानन्द ग्रामोत्थान विद्यापीठ, संगरिया, हनुमानगढ़	03.10.1962	राजकीय महाविद्यालय, फलौदी
15	प्रो. रामकुमार सिंह	व्याख्याता अंग्रेजी	स्वामी केशवानन्द ग्रामोत्थान विद्यापीठ, संगरिया, हनुमानगढ़	01.07.1962	राजकीय महाविद्यालय, नीम का थाना

16	कमलदेव चौधरी	व्याख्याता गणित	स्वामी केशवानन्द ग्रामोत्थान विद्यापीठ, संगरिया, हनुमानगढ़	05.07.1967	राजकीय महाविद्यालय, कोटपूतली
17	श्री सुरेश कुमार पुनियां	व्याख्याता वनस्पति शास्त्र	स्वामी केशवानन्द ग्रामोत्थान विद्यापीठ, संगरिया, हनुमानगढ़	18.06.1966	राजकीय महाविद्यालय, रामगढ़
18	अश्विनी कुमार शर्मा	पी.टी.आई	दयानन्द कॉलेज, अजमेर	10.02.1964	राजकीय महाविद्यालय, मेड़तासिटी
19	धर्मपाल	डी.पी.ई	स्वामी केशवानन्द ग्रामोत्थान विद्यापीठ, संगरिया, हनुमानगढ़	06.04.1964	राजकीय महाविद्यालय, गोविन्दगढ़



(सुबीर कुमार)


निदेशक, कॉलेज शिक्षा एवं
पदेन विशिष्ट शासन सचिव, उच्च शिक्षा

दिनांक: 13.07.2012

क्रमांक एफ 1 (175) कृषि/स्था/निकाशि/2011/271

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. शासन उपसचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
8. मुख्य लेखाधिकारी / उपविधि परामर्शी निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
9. संयुक्त निदेशक (स्थापना/अनुदान/ कार्मिक/ अकादमी), कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
10. लेखाधिकारी, शिक्षा ग्रुप-5, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
11. संबंधित सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।
12. संबंधित प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय।
13. संबंधित संस्था सचिव/संबंधित प्राचार्य, अनुदानित कृषि महाविद्यालय।
14. संबंधित व्याख्याता/ पी.टी.आई।
15. संस्थापन/ कम्प्यूटर/ गोपनीय/ कार्मिक शाखा/ नोडल आफिसर, विभागीय वेबसाइट।
16. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर